

Rule 159 : Provisional attachment of property

- (1) Where the Commissioner decides to attach any property, including bank account in accordance with the provisions of section 83, he shall pass an order in **FORM GST DRC-22** to that effect mentioning therein, the details of property which is attached.
- (2) The Commissioner shall send a copy of the order of attachment ¹[in **FORM GST DRC-22**] to the concerned Revenue Authority or Transport Authority or any such Authority to place encumbrance on the said movable or immovable property, which shall be removed only on the written instructions from the Commissioner to that effect ²[and a copy of such order shall also be sent to the person whose property is being attached under section 83.]
- (3) Where the property attached is of perishable or hazardous nature, ³[and if the person, whose property has been attached,] pays an amount equivalent to the market price of such property or the amount that is or may become payable ⁴[by such person], whichever is lower, then such property shall be released forthwith, by an order in **FORM GST DRC-23**, on proof of payment.
- (4) Where ⁵[such person] fails to pay the amount referred to in sub-rule (3) in respect of the said property of perishable or hazardous nature, the Commissioner may dispose of such property and the amount realized thereby shall be adjusted against the tax, interest, penalty, fee or any other amount payable by ⁶[such person].
- (5) Any person whose property is attached may, ⁷[file an objection in **FORM GST DRC-22A**] to the effect that the property attached was or is not liable to attachment, and the Commissioner may, after affording an opportunity of being heard to the person filing the objection, release the said property by an order in **FORM GST DRC-23**.
- (6) The Commissioner may, upon being satisfied that the property was, or is no longer liable for attachment, release such property by issuing an order in **FORM GST DRC-23**.

1 Inserted by Noti. No. 40/2021–Central Tax, dt. 29-12-2021 w.e.f. 01-01-2022.

2 Inserted by Noti. No. 40/2021–Central Tax, dt. 29-12-2021 w.e.f. 01-01-2022.

3 Substituted for "and if the taxable person" by Noti. No. 40/2021–Central Tax, dt. 29-12-2021 w.e.f. 01-01-2022.

4 Substituted for "by the taxable person" by Noti. No. 40/2021–Central Tax, dt. 29-12-2021 w.e.f. 01-01-2022.

5 Substituted for "the taxable person" by Noti. No. 40/2021–Central Tax, dt. 29-12-2021 w.e.f. 01-01-2022.

6 Substituted for "the taxable person" by Noti. No. 40/2021–Central Tax, dt. 29-12-2021 w.e.f. 01-01-2022.

7 Substituted for ", within seven days of the attachment under sub-rule (1), file an objection" by Noti. No. 40/2021–Central Tax, dt. 29-12-2021 w.e.f. 01-01-2022.

नियम 159 : सम्पत्ति की अनंतिम कुर्की

- (1) जहां आयुक्त धारा 83 के उपबंधों के अनुसार बैंक खाता सहित, किसी सम्पत्ति की कुर्की करने का विनिश्चय करता है, वहां वह प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में तद्धीन सम्पत्ति जो कुर्की की गई है के विवरणों का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा।
- (2) आयुक्त कुर्की के आदेश की प्रति ¹[प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22 में] सम्बन्धित राजस्व प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा, कि वह उक्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति पर विल्लंगम रखे, जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर ही हटाया जाएगा ²[और ऐसे आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को भी भेजी जाएगी जिसकी संपत्ति धारा 83 के अधीन कुर्की की गई है।]
- (3) जहां कुर्की की गई संपत्ति विनिश्चर या परिसंकटमय प्रकृति की है, ³[और यदि व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्की की गई है] ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य के समतुल्य रकम का संदाय करता है या ऐसी रकम का संदाय करता है जो ⁴[ऐसे व्यक्ति] पर संदेय है या संदेय बन जाती है, जो भी न्यून हो, तब ऐसी सम्पत्ति, संदाय के सबूत पर, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23 में एक आदेश द्वारा तुरंत निर्मुक्त की जाएगी।
- (4) जहां ⁵[ऐसे व्यक्ति] विनिश्चर या परिसंकटमय प्रकृति की उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में उपनियम (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में विफल रहता है, वहां आयुक्त ऐसी सम्पत्ति का व्ययन कर सकेगा और तद् द्वारा प्राप्त रकम, कर, ब्याज, शास्ति, शुल्क या ⁶[ऐसे व्यक्ति] द्वारा संदेय किसी अन्य रकम के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।
- (5) कोई व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति कुर्की की गई है, ⁷[प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22क में एक आपत्ति फाइल कर सकेगा] कि कुर्की की गई सम्पत्ति कुर्की किए जाने के लिए दायी नहीं थी या है, और आयुक्त आपत्ति फाइल करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23 में एक आदेश द्वारा उक्त सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा।

-
- 1 अधिसूचना क्रमांक 40/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।
 - 2 अधिसूचना क्रमांक 40/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।
 - 3 अधिसूचना क्रमांक 40/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा "और यदि कराधेय व्यक्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।
 - 4 अधिसूचना क्रमांक 40/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा "कराधेय व्यक्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।
 - 5 अधिसूचना क्रमांक 40/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा "कराधेय व्यक्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।
 - 6 अधिसूचना क्रमांक 40/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा "कराधेय व्यक्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।
 - 7 अधिसूचना क्रमांक 40/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.12.2021 द्वारा "कुर्की के सात दिवसों के भीतर, उपनियम (1) के अधीन इस प्रभाव की एक आपत्ति फाइल कर सकेगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2022)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (6) आयुक्त इस सम्बन्ध में समाधान होने पर कि सम्पत्ति कुर्की के लिए और अधिक दायी नहीं था या है, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-23 में एक आदेश जारी करते हुए ऐसी सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा।
-